नई दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोधों पर विचार करने हेतु सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति गठित है। इस समिति की चार बैठकें दिनांक 10.01.2018, 03.01.2023, 20.08.2025 तथा 02.03.2026 को आयोजित की जा चुकी हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में इसके अतिरिक्त कोई और समावेशन नहीं किया गया है।